पत्र संख्या-बी-1-5-बजट/ 2018-2019 / 930 / राज्य कर

कार्यालय कमिश्नर राज्य कर, उत्तर प्रदेश

(बजट अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 9-2- 2023

समस्त आहरण वितरण अधिकारी
राज्य कर उत्तर प्रदेश

संज्ञान में आ रहा है कि कुछ जनपदों में वेतन एरियर का भुगतान मुख्यालय से नियमित वेतन भुगतान के उद्देश्य से आवंटित बजट से करने का प्रयास किया जा रहा है तथा नियमित वेतन भुगतान हेतु बजट कम पडने पर अतिरिक्त बजट मांग नियमित भुगतान हेतु की जाती है । यह उचित नहीं है।

मुख्यालय द्वारा वेतन मदों में आवंटित बजट केवल नियमित वेतन भुगतान के उद्देश्य से किया जाता है। किसी भी एरियर का भुगतान मुख्यालय के सम्बन्धित अनुभागों जैसे स्थापना, सेवावाद, वाद अनुभाग के माध्यम से प्राप्त अनुमोदन/स्वीकृति के उपरान्त ही उसकी अतिरिक्त धनमांग बजट अनुभाग से करने पर, इस अनुभाग द्वारा किया जाएगा ।

इसके अतिरिक्त यदि कोई प्रणाली अपनाई जाती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व आहरण वितरण अधिकारी का होगा।

(शैलेश गिरि)
अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र सं0 व दिनांक:उपरोक्त।

प्रतिलिपि- **समस्त अपर आयुक्त राज्य कर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**

अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या-बी-1-5-बजट/ 2018-2019 / 930 / राज्य कर

कार्यालय कमिश्नर राज्य कर, उत्तर प्रदेश

(बजट अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 9-2-2023

समस्त आहरण वितरण अधिकारी
राज्य कर उत्तर प्रदेश

संज्ञान में आ रहा है कि कुछ जनपदों में वेतन एरियर का भुगतान मुख्यालय से नियमित वेतन भुगतान के उद्देश्य से आवंटित बजट से करने का प्रयास किया जा रहा है तथा नियमित वेतन भुगतान हेतु बजट कम पडने पर अतिरिक्त बजट मांग नियमित भुगतान हेतु की जाती है । यह उचित नहीं है।

मुख्यालय द्वारा वेतन मदों में आवंटित बजट केवल नियमित वेतन भुगतान के उद्देश्य से किया जाता है। किसी भी एरियर का भुगतान मुख्यालय के सम्बन्धित अनुभागों जैसे स्थापना, सेवावाद, वाद अनुभाग के माध्यम से प्राप्त अनुमोदन/स्वीकृति के उपरान्त ही उसकी अतिरिक्त धनमांग बजट अनुभाग से करने पर, इस अनुभाग द्वारा किया जाएगा ।

इसके अतिरिक्त यदि कोई प्रणाली अपनाई जाती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व आहरण वितरण अधिकारी का होगा।

(शैलेश गिरि)
अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र सं0 व दिनांक:उपरोक्त ।

प्रतिलिपि- **समस्त अपर आयुक्त राज्य कर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**

अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।